न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—328/2019/225 (2019/00328)

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नी रामेश्वरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम हरमाडा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज जरिये पुजारी सुवादास चेला गोपीदास, जाति साधू (रामावत), निवासी ग्राम हरमाडा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. शिव शंकर पुत्र स्व0 रमेशचंद उर्फ रमेशदास, जाति वैरागी, निवासी ग्राम हरमाडा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी चौधरी, कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर **(नाम तर्क आदेश दिनांक 10.8.2020)**
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 7.4.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 19/2016.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री अभिषेक शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 26.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 7.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये वाद मित्र सुवादास एक राजस्व वाद संख्या 22/2016 अपीलांट, रेस्पो0 संख्या 2 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम हरमाडा वर्तमान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नंबर 1261 रकबा 13—06—00 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 811 रकबा 15—13—00 बीघा कायम किये गये है, खेवट फसली संवत् 1363 के अनुसार मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज रही है, जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज कारित करते हुए रमेश चंद उर्फ रमेश दास के नाम दर्ज कर दी गई जिसके द्वारा गैर कानूनी रूप से उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.3.2016 द्वारा अपीलांट के हक में विक्रय कर दिया गया जो कि अनाधिकृत रूप से विवादित भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज

को दुरूस्त कर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित फरमायी जावे । वाद के साथ समान कथनों के आधार पर एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 7.4.2016 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करते हुए प्रकरण दर्ज कर जरिये सम्मन/नोटिस प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को तलब किये जाने हेतु दिनांक 5.5.2016 को पेशी नियत की गई थी । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । मूल खातेदार रमेश चंद एवं अपीलांट पिछले 55 वर्षो से विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 7.4. 2016 से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ ने अधी0न्याया0 के समक्ष विस्तृत जवाब एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये थे तथा अधी0न्याया0 द्वारा बहस सुने जाने के उपरांत भी आदेश दिनांक 7.4.2016 को यथावत् रखने में त्रुटि कारित की है । आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 के तहत अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने की स्थति में प्रकरण का जवाब प्रस्तुत होने पर 30 दिवस में निस्तारित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जाने तथा बहस सुनने के उपरांत भी किसी प्रकार का आदेश पारित नही कर विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबधं में समान पक्षकारान एवं समान न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/1993 के तहत विधिवत् रूप से सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 21.10.1994 द्वारा तत्समय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रकरण निरस्त कर दिया था । ऐसी स्थिति में पुनः समान भूमि के लिये उसी न्यायालय के समक्ष समान पक्षकरान के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण धारा 11 जा0दी0 में उल्लेखित रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से प्रथम दृष्टया बाधित रहा था जिसके संबंध में विस्तृत अभिवचन एवं निर्णय की प्रति अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी आदेश दिनांक 7.4.2016 यथावत् रखने में त्रुटि की है । विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि नही रही है अपितु रमेश चंद व उनके पिता लक्ष्मण दास की खुदकाश्त भूमि रहने से मिसल संख्या 1024/63 में पारित आदेश दिनांक 21.10.1963 के अनुसार रमेशचंद के नाम खातेदारी दर्ज होकर उसका वास्तविक कब्जा काश्त है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.3.2016 से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस प्रकार किसी भी प्रकार से वादी/प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण विद्यमान नहीं था । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विद्यमान नहीं होकर अपीलांट एवं उनके मूल खातेदार रमेशचंद के हक में विद्यमान रहे है । मान0 राजस्व मण्डल अजमेर की वृहत पीठ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 39 नियम 3–ए जाप्ता दीवानी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने पर अपील प्रस्तुत

किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है इसलिये यह अपील उक्त सिद्धांत के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 7.4. 2016 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिविरूद्ध है तथा ऐसे आदेश को चुनौती दिये जाने की कोई समय सीमा नहीं है । मान0 मण्डल की वृहत पीठ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 30 नियत 3–ए जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने पर अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान किये जाने से उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में यह अपील प्रस्तुत की जा रही है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक कारणों से क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की अपील प्रथमदृष्टया ही डिफेक्टिव है । अपीलांट ने जानबूझकर दिनांक 7.5.2019 को रमेशचंद उर्फ रमेशदास की मृत्यु हो जाने के उपरांत भी उनके केवल एक मात्र पुत्र शिवशंकर को न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुर्तिब किया है जबकि स्व0 रमेशचंद उर्फ रमेशदास की पत्नि चार अन्य पुत्र व दो पौत्र भी विधिक वारिसान होकर आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा गलत आधारों पर धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपील में हाल रेस्पो0 संख्या 2 का नाम डिलीट करवा दिया जबकि उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में स्व0 रमेशचंद के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिये था । अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी करीब 3 वर्षो से थी फिर भी बिना किसी आधार के उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र में विलंब के संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जो पक्षकार मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करेगा उसको प्रत्येक दिवस की देरी का संतोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित करना होगा । अपीलांट की अपील भारी मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है । अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1998 पेज 512, आर0बी0जे0 2000 पेज 357, आर0बी0जे0 2001 पेज 432, आर0बी0जे0 2011 पेज 352, आर0बी0जे0 2016 पेज 226 एवं आर0बी0जे0 2019 पेज 20 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील मीमों के पृष्ठ संख्या 2 पर यह अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 25.7.2018 को विस्तृत जवाब अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था जबकि अधी0न्याया0 द्वारा जो धारा 212 के तहत जो पत्रावली जो पत्रावली अधी0न्याया0 के द्वारा प्रेषित की गई है उससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा जानबूझकर गलत तथ्य अंकित करते हुए आदेश 39 नियम 3–ए का हवाला देते हुए अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 7.4.2016 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की है जबकि अपीलांट स्वंय ने जानबूझकर आज दिवस तक जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत ही नही किया है । इस प्रकार अपीलांट स्वच्छ हाथों से हाजा न्यायालय के समक्ष अपील लेकर नहीं आये है जिससे अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष परचा खतौनी की फोटों प्रति प्रस्तुत की है जिन्हें इस स्तर पर पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उक्त दस्तावेज अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे एवं यदि हाल अपीलांट उक्त दस्तावेज अपीलीय स्तर पर

प्रस्तुत करना चाहते है तो उन्हें आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार उक्त दस्तावेज मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था । उक्त दस्तावेज अपीलीय स्तर पर अपीलांट को कोई सहायता प्रदान नही करते है । अपीलांट ने अपनी संपूर्ण अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में दिये गये प्रावधानों की बहस की है तथा वाद को धारा 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य बताया है । जबकि अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष केवल मात्र धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये आदेश की अपील की है तथा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का निर्णय नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त वह प्रार्थना पत्र आज भी अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्यों व कानून का मिश्रित प्रश्न है जिसको केवल विवादक विरचित कर ही निर्णित किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 1996 पेज 126, आर0बी0जे0 2004 पेज 278, आर0बी0जे0 2015 पेज 306 एवं एव0आई0आर0 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 3001 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में उक्त भूमि हाल रेस्पे0 संख्या 1 की खातेदारी की आराजी थी जिसकी ताईद अधी0न्याया0 के समक्ष जमाबंदी सन् 1363 फसली करती है जिसके कॉलम संख्या 3 में मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोपी दास चेला कामडदास कौम साधू अंकित है । इसके अतिरिक्त मूति मंदिर शाश्वत नाबालिक है जिसकी खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकती है । अपीलांट द्वारा जो पर्चा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा सहायक भू–प्रबधं अधिकारी का निर्णय दिनांक 19.10.1963 प्रकरण संख्या 1026/63 में पारित किया गया का प्रभाव हाल रेस्सपो0 संख्या 1 के अधिकारों पर नहीं पड़ता है क्योंकि उक्त प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 पक्षकार नहीं था । सहायक भू–प्रबधं अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एक सरसरी तौर पर की जाने वाली फिस्कल प्रक्रिया है जबकि पक्षकारों के हक अधिकार जो मूल वाद में आज दिनांक को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष विचाराधीन है उसमें तय होने है । दिनांक 15.2.1991 को जो सनद जारी की गई थी उसकी प्रति से भी यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 की है । इस आधार पर अपीलांट की अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2016 अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश है न कि अंतिम आदेश । अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसका बाद साक्ष्य निस्तारण किया जाना शेष है । अपीलांट ने जो ऐतराज हाजा न्यायालय के समक्ष उठाये है वह उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष रखने चाहिये थे किन्तु अपीलांट ने प्रकरण में विलंब करने की नियत से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया । पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2016 का है जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील 17.9.2019 को लगभग साढ़े तीन वर्ष उपरांत पेश की गई है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस विलंब के संबंध में ठोस, समुचित एवं

उचित कारण बताने में पूर्णतया असफल रहे है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी किसके द्वारा एवं कब प्राप्त हुई इसके संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.4.2016 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये है । इसके उपरांत अप्रार्थीगण/अपीलांट के अधी0न्याया0 में उपस्थित होने पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 10.11.2016 को नियत की गई । तत्पश्चात् पत्रावली अप्रार्थीगण/अपीलांट के जवाब में विचाराधीन रही है । अधी0न्याया0 की उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 7.4.2016 की अपीलांट को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद लगभग साढ़े तीन वर्ष के उपरांत मियाद बाहर यह अपील पेश की है तथा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में भी विलंब के समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है कि जो पक्षकार मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करेगा उसको प्रत्येक दिवस की देरी का संतोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित करना होगा, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद यह अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब के संबंध में संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये है । आर0बी0जे0 2001 पेज 432 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :– '' When petitioner had full knowledge of the proceedings-delay cannot be condoned. '' इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 1998 पेज 512, आर0बी0जे0 2000 पेज 357, आर0बी0जे0 2001 पेज 432, आर0बी0जे0 2011 पेज 352, आर0बी0जे0 2016 पेज 226 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर पेश किये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज योग्य होकर अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 26.8.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर